25/06/25

अधिवक्ता अभयपक्ष उप। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र वास्ते प्रकरण विड्रो करने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण से संबंधित मूल वाद का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हो चुका है। अतः उक्त अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज जरिये विड्रो खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण से संबंधित मूल वाद का निस्तारण होने के कारण उक्त अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः उक्त अपील पोषणीय नहीं होने से जरिये विड्रोल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

ID By Virukumar Sharma Adv.